

ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का
अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन
कर व उन्हें भली-भांति समझने
के पश्चात आयोग की वेबसाइट
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का
प्रिंट निकालकर आवश्यक
जानकारियों की प्रविष्टि कर
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 1056/07/चयन/2022

नवा रायपुर दिनांक 18.02-2022

दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार-पत्र

मेडिसीन/शिशुरोग/टी.बी. एण्ड चेस्ट/चर्म एवं रतिज रोग/मनोरोग/सर्जरी/
अस्थिरोग/ई.एन.टी./नेत्ररोग/प्रसूति एवं स्त्रीरोग/निश्चेतना/रेडियोडायग्नोसिस/
रेडियोथेरेपी/इमरजेंसी मेडिसिन/फिजिकल रिहैबिलिटेशन/ब्लड बैंक (पैथालॉजी)
(चिकित्सा शिक्षा विभाग)

महोदय/महोदया,

सीनियर रेसीडेण्ट, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप निर्धारित पाली प्रथम पाली-पूर्वाह्न 10.00 से 01.30 बजे तक तथा द्वितीय पाली-अपराह्न 02.00 से 05.30 बजे तक लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित एवं अनर्ह पाये जाने पर उक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (02 प्रति में) (दोनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (दोनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी दो मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 सीनियर रेसीडेण्ट, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदों के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 10/2021/परीक्षा/दिनांक 29/11/2021 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 08.12.2021 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता- विज्ञापन की कंडिका (2) (iv) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा एक-एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की एक-एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं एक-एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक-एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आय सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक-एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.12 आपके द्वारा सीनियर रेसीडेण्ट, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं एक-एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो विज्ञापन के निर्देश पैरा (6) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक-एक प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2021 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय सीनियर रेसीडेण्ट, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए किये गये ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं एक-एक छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 18.2.2022
परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी
सीनियर रेसीडेण्ट-2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
Senior Resident- Medicine			
7/3/2022	8/3/2022	MED211001100174	MED211001100512
		MED211001100175	MED211001100522
		MED211001100178	MED211001100529
		MED211001100185	MED211001100543
		MED211001100187	MED211001100544
		MED211001100216	MED211001100546
		MED211001100218	MED211001100550
		MED211001100226	MED211001100555
		MED211001100235	MED211001100582
		MED211001100238	MED211001100596
		MED211001100252	MED211001100618
		MED211001100422	MED211001100628
		MED211001100473	MED211001100630
		MED211001100475	
		MED211001100494	
MED211001100509			
Senior Resident- Pediatrics			
7/3/2022	8/3/2022	MED2110011000006	MED211001100423
		MED211001100013	MED211001100463
		MED211001100049	MED211001100464
		MED211001100133	MED211001100476
		MED211001100147	MED211001100480
		MED211001100181	MED211001100481
		MED211001100186	MED211001100545
		MED211001100206	MED211001100549
		MED211001100220	MED211001100571
		MED211001100270	MED211001100574
		MED211001100315	MED211001100622
		MED211001100379	MED211001100625
		MED211001100390	
		MED211001100392	
		MED211001100403	
MED211001100418			
Senior Resident- Dermatology and Venereology			
7/3/2022	8/3/2022	MED211001100021	
		MED211001100079	
		MED211001100091	
		MED211001100137	
		MED211001100161	
		MED211001100182	
		MED211001100230	
		MED211001100267	
		MED211001100290	
		MED211001100325	
		MED211001100448	
		MED211001100479	
Senior Resident- Psychiatry			
7/3/2022	8/3/2022		MED211001100215
			MED211001100433

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी
सीनियर रेसीडेंट-2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
Senior Resident- Surgery			
8/3/2022	9/3/2022	MED211001100012	MED211001100515
		MED211001100036	MED211001100523
		MED211001100081	MED211001100528
		MED211001100087	MED211001100536
		MED211001100106	MED211001100585
		MED211001100162	MED211001100593
		MED211001100184	MED211001100626
		MED211001100232	MED211001100627
		MED211001100251	MED211001100631
		MED211001100264	MED211001100633
		MED211001100431	MED211001100636
		MED211001100455	
		MED211001100500	
		MED211001100501	
Senior Resident- Orthopaedic			
8/3/2022	9/3/2022	MED211001100045	MED211001100339
		MED211001100064	MED211001100401
		MED211001100077	MED211001100404
		MED211001100095	MED211001100408
		MED211001100105	MED211001100450
		MED211001100113	MED211001100451
		MED211001100124	MED211001100468
		MED211001100140	MED211001100521
		MED211001100201	MED211001100530
		MED211001100221	MED211001100556
		MED211001100277	MED211001100570
		MED211001100279	MED211001100572
		MED211001100311	MED211001100580
		MED211001100329	MED211001100587
		MED211001100330	MED211001100621
MED211001100337	MED211001100635		
Senior Resident- T.B. & Chest			
8/3/2022	9/3/2022	MED211001100025	
		MED211001100061	
		MED211001100365	
		MED211001100394	
		MED211001100449	
		MED211001100576	
		MED211001100584	
		MED211001100595	
		MED211001100610	
		MED211001100629	
Senior Resident- Radiotherapy			
8/3/2022	9/3/2022		MED211001100048
			MED211001100594
			MED211001100623
Senior Resident- E.N.T.			
9/3/2022	10/3/2022	MED2110011000001	MED211001100356
		MED211001100040	MED211001100383
		MED211001100050	MED211001100387
		MED211001100086	MED211001100395
		MED211001100118	MED211001100427
		MED211001100136	MED211001100483
		MED211001100173	MED211001100548
		MED211001100210	MED211001100590
		MED211001100213	MED211001100605
		MED211001100234	MED211001100637
		MED211001100260	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी
सीनियर रेसीडेंट-2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
Senior Resident- Ophthalmology			
9/3/2022	10/3/2022	MED211001100010	MED211001100353
		MED211001100057	MED211001100358
		MED211001100065	MED211001100363
		MED211001100080	MED211001100381
		MED211001100103	MED211001100389
		MED211001100116	MED211001100393
		MED211001100135	MED211001100424
		MED211001100146	MED211001100430
		MED211001100154	MED211001100434
		MED211001100160	MED211001100446
		MED211001100168	MED211001100508
		MED211001100169	MED211001100525
		MED211001100199	MED211001100531
		MED211001100202	MED211001100541
		MED211001100217	MED211001100588
		MED211001100219	MED211001100597
		MED211001100237	MED211001100606
		MED211001100268	MED211001100634
		MED211001100282	
		MED211001100283	
Senior Resident- Anaesthesiology			
9/3/2022	10/3/2022	MED211001100052	MED211001100533
		MED211001100074	MED211001100540
		MED211001100191	MED211001100553
		MED211001100257	MED211001100578
		MED211001100402	MED211001100592
		MED211001100415	MED211001100614
		MED211001100482	MED211001100619
		MED211001100493	
Senior Resident- Radio Diagnosis			
9/3/2022	10/3/2022	MED211001100196	
		MED211001100205	
		MED211001100380	
		MED211001100486	
		MED211001100491	
		MED211001100495	
		MED211001100504	
		MED211001100527	
		MED211001100602	
		MED211001100624	
Senior Resident- Emergency medicine			
9/3/2022	10/3/2022		MED211001100603

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय-सारिणी

सीनियर रेसीडेण्ट-2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
Senior Resident- Obstetrics and Gynaecology			
10/3/2022	11/3/2022	MED211001100072	MED211001100371
		MED211001100082	MED211001100400
		MED211001100128	MED211001100432
		MED211001100150	MED211001100454
		MED211001100170	MED211001100503
		MED211001100188	MED211001100514
		MED211001100195	MED211001100524
		MED211001100209	MED211001100535
		MED211001100239	MED211001100561
		MED211001100256	MED211001100575
		MED211001100275	MED211001100589
		MED211001100296	MED211001100598
		MED211001100297	MED211001100632
		MED211001100323	
		MED211001100328	
		MED211001100338	
Senior Resident- Blood Bank(Pathology)			
10/3/2022	11/3/2022	MED2110011000009	MED211001100115
		MED211001100017	MED211001100141
		MED211001100024	MED211001100233
		MED211001100037	MED211001100322
		MED211001100043	MED211001100385
		MED211001100063	MED211001100472
		MED211001100078	MED211001100488
		MED211001100092	MED211001100539
		MED211001100104	MED211001100620
Senior Resident- Physical Rehabilitation			
10/3/2022	11/3/2022	MED211001100070	
		MED211001100397	
		MED211001100615	

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

18.2.2022
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर